उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या– 103 –औस/2012–19(125) 2001 दिनांक 23 जनवरी, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

बाह्य एजेन्सियों (ठेकेदारों/संविदाकारों) के माध्यम से उपकेन्द्रो/लाइनों के अनुराक्षण आदि के कार्य पर नियोजित किये जाने वाले संविदा श्रमिकों की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु हो जाने की दशा में उनके परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की माँग विभिन्न माध्यमों से की जाती रही है।

संविदा कर्मियों के दुर्घटना ग्रस्त होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति किये जाने का दायित्व सम्बन्धित संविदाकार का होता है किन्तु संविदाकार द्वारा तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि संविदा कर्मी की कार्य करते समय घातक विद्युत दुर्घटना होने पर उनके परिजनों को रू0 1.00 लाख (एक लाख) अनुग्रह राशि सम्बन्धित मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता (कान्ट्रैक्टिंग इन्जीनियर) द्वारा स्वीकृत कर भुगतान तत्काल सुनिश्चित कराया जायेगा तथा भुगतान की गयी धनराशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार को देय बीजकों में से एकमुश्त उसी माह में की जायेगी।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या– 103 –(1)–औस/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक पश्चिमान्चल/पूर्वान्चल/मध्यान्चल/दक्षिणान्चल/केस्को, विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/वाराणसी/लखनऊ/आगरा/कानपुर।
2. निदेशक (परिचालन)/(कार्मिक प्रबन्धन)/कार्य एवं परियोजना), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/(पारेषण)/(जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने–अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ अधिकारियों/इकाईयों को उपलब्ध करा दें।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
7. उप–महाप्रबन्धक (लेखा एवं समप्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
8. उप–महाप्रबन्धक (लेखा–प्रशासन)), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
9. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. अनुसचिव (काविनी), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. कारपोरेशन (मु0), शक्ति भवन के समस्त अधिकारी/अनुभाग/शिविर।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. कट फाइल/4 पत्रावली संख्या–8–एम0/92

आज्ञा से,

(नन्द लाल)

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संविदाकार/.1.

क0अवि0